Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पूर्व जिला कलक्टर, अलवर नन्नूमल पहाड़िया आई.ए.एस., अशोक सांखला आर.ए.एस. एवं उनका दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) 5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों द्वारा की गई थी 16 लाख रुपये रिश्वत की मांग**
- **आरोपियों की आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *23 अप्रेल, शनिवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **नन्नूमल पहाड़िया आई.ए.एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर तथा अशोक सांखला सैटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (आर.ए.एस.)** को उनके दलाल नितिन शर्मा (प्राइवेट व्यक्ति) सहित परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप चलने देने की एवज में मासिक बन्धी के रूप में **नन्नूमल पहाड़िया आई.ए.एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर तथा अशोक सांखला सैटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी (आर.ए.एस.)** द्वारा **16 लाख रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन.** के सुपरवीजन में एसीबी अलवर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार एवं** उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक सांखला पुत्र श्री प्रभाती लाल निवासी गांव भदाल तहसील सांभर, जिला जयपुर हाल निवासी ई/503, ग्रीन एवेन्यू, आशादीप, जगतपुरा, जयपुर हाल सैटलमेन्ट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, अलवर आर.ए.एस. को परिवादी से **5 लाख रुपये की रिश्वत** प्राप्त कर, अपने दलाल नितिन शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा निवासी कल्लूपाड़ा, पुलिस थाना कोतवाली अलवर, जिला अलवर द्वारा ले जाते हुये उसे एसीबी टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में **नन्नूमल पहाड़िया पुत्र स्व. श्री छोटलाल निवासी पथैना, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर हाल आई.ए.एस. पूर्व जिला कलक्टर, अलवर** को जो जिला कलक्टर अलवर के पद से दो दिन पूर्व ही रिलीव हो गये थे, को जिला कलक्टर आवास से गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी अशोक सांखला आर.ए.एस. द्वारा परिवादी से पूर्व में ही 5 लाख रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।